न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 66/2026

जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, नगर पालिका सुलताना, वार्ड नं0 6, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333028, मो0न0 8696973108

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा।

––

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 09.03.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 16.02.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 66/2026 पर दिनांक 16.02.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2026/411–412 दिनांक 17.02.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने बावजूद सूचना के कोई रिपोर्ट पेश नही की।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा ने बावजूद सूचना के कोई रिपोर्ट पेश नही की। चूंकि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा द्वारा बावजूद सूचना के कोई रिपोर्ट पेश नही की गई है जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) चिडावा को निर्देश दिये जाते है कि वह अपीलार्थी को चाही गई सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं